अपील सूचना अधिकार संख्या 02/2018 अनवानी राजपाल पुत्र श्री सुखदेव गांव अमरपुरा जाटान पोस्ट मानकरसर तहसील सूरतगढ बनाम जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

29—01—2018

पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी श्री राजपाल उपस्थित है। लोक सूचना अधिकारी के प्रतिनिधि उपस्थित नही है। अपीलार्थी को सुना गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया।

अपीलार्थी श्री राजपाल का कथन है कि उसके द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर से चाही गई सूचना उनके द्वारा उपलब्ध नही करवाई गई है और न ही कोई जबाब दिया गया है। अतः लोक सूचना अधिकारी को उसके द्वारा चाही सूचनांए उपलब्ध करवाने का आदेश दिया जावे।

मैने अपीलार्थी के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया तो पाया कि अपीलार्थी श्री राजपाल ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदन पत्र दिनांक 18.09.2017 के द्वारा लोक सूचना अधिकारी एवं जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर से निम्न सूचनांए चाही थी:—

> मैं राजपाल पुत्र श्री सुखदेव जाति मेघवाल गांव अमरपुरा जाटान, पोस्ट मानकसर, तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर का स्थायी निवासी हूं। मेरा राशन कार्ड संख्या 006685500312 है। यह कार्ड राशन दुकान संख्या 676 में दर्ज है।
>
> 1. विभाग/कार्यालय के रिकार्ड के मुताबिक मेरे राशन कार्ड पर प्रत्येक माह में जारी किए गए राशन व किरासीन तेल का ब्यौरा निम्नलिखित तथ्यों के साथ दे—
>   (i) महिना
>   (ii) जारी राशन व किरासन तेल की मात्रा
>   (iii) प्रत्येक के लिए भुगतान की गयी राशि
>   (iv) भुगतान रसीद की छायाप्रति
> 2. उपरोक्त राशन की दुकान और किरासन तेल डिपो के पिछले छः माह के निम्नलिखित रिकार्डो की प्रमाणित प्रतियां उपलब्ध कराएं।
>   (i) मास्टर कार्ड रजिस्टर
>   (ii) दैनिक बिक्री रजिस्टर
>   (iii) दैनिक स्टॉक रजिस्टर
>   (iv) मासिक स्टॉक रजिस्टर
>   (v) निरीक्षण पुस्तिका
>   (vi) कैश मेमों
> 3. उपरोक्त राशन दुकान व किरासीन तेल डिपो के खिलाफ पिछले पांच सालो में कितनी शिकायतें प्राप्त हुई है। सभी शिकायतों की सूची निम्नालिखित विवरण के साथ दे।
>   (i) शिकायत करने वाले का नाम
>   (ii) शिकायत का संक्षिप्त विवरण
>   (iii) शिकायत की तारीख
>   (iv) शिकायत पर की गयी कार्यवाही का विवरण
>   (v) शिकायत पर कार्यवाही करने वाले अधिकारी का नाम, पद व पता
>
> यदि मांगी गयी सूचना आपके विभाग/कार्यालय से सम्बन्धित नही हो तो सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) को ध्यान में रखते हुये मेरा आवेदन संबंधित लोक सूचना अधिकारी को पांच दिनों के समयावधि के अंतर्गत हस्तांतरित करे तथा साथ ही अधिनियम के प्रावधानों के तहत सूचना उपलब्ध कराते समय प्रथम अपील अधिकारी का नाम व पता अवश्य बताएं।

अपीलार्थी के अपीलपत्र पर जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर ने अपना प्रतिवेदन सं0 1716 दिनांक 19.01.2018 प्रस्तुत किया है कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचनांए उनके कार्यालय के रजि0 पत्र संख्या रसद/2017/7989 दिनांक 25.10.2017 द्वारा उपलब्ध करवाई जा चुकी है जो निम्नानुसार उपलब्ध करवाई गई है:—

> **उपरोक्त चाही गई सूचना के सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि बिन्दु संख्या 1 में चाही गई सूचना के पृष्ठ 1 संलग्न है।**
>
> **बिन्दु संख्या 2 से सम्बन्धित रिकार्ड उचित मूल्य दुकानदार के पास संधारित होता है। अतः सीधे ही सूचना उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त कर सकते है।**
>
> **बिन्दु संख्या 3 में अंकित चाही गई सूचना प्रश्नात्मक है। इस सम्बन्ध में आपको सूचित किया जाता है कि राजस्थान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2 च में सूचना से तात्पर्य किसी भी स्वरूप में कोई भी सामग्री इसमें किसी भी इलेक्ट्रोनिक्स रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन ईमेल, मत, सलाह, प्रैस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लॉगबुक, संविदा, रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, मॉडल, आंकडो संबंधी सामग्री शामिल है। प्रशासनिक सुधार विभाग के परिपत्र प0 22 (16)प्रसू./सूअप्र/2010 जयपुर दिनांक 16.12.2011 में यह स्पष्ट किया गया है कि सूचना में क्यों प्रश्न के उत्तर सम्मिलत नही है रिट पैटीशन सं0 419/2007 डा0 सेलस पिण्टों बनाम गोवा राज्य में स्पष्ट किया गया है कि सूचना की परिभाषा अपने दायरे में क्यों वाले प्रश्नों के उत्तर शामिल नही कर सकती। लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना सृजित करना या सूचना की व्याख्या करना या आवेदक द्वारा उठाई गई समस्याओं का समाधान करना या काल्पिनक प्रश्नों के उत्तर देना अपेक्षित नही है। अतः इस बिन्दु की सूचना नही दी जा सकती। आप चाहे तो कार्यालय अभिलेखागार का निरीक्षण कर वाछिंत/इंगित सूचना ले सकते है।**

जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा उक्तानुसार बिन्दु संख्या की सूचना अपीलार्थी को उपलब्ध करवाई जा चुकी है। बिन्दू सं0 2 की सूचना का संबंध उनके कार्यालय से नही होनें के कारण संबंधित उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त करने के लिए लिखा गया है। अपीलार्थी को इस बिन्दु की सूचना संबंधित उचित मूल्य दुकानदार से प्राप्त करनी चाहिए। बिन्दु सं0 3 की सूचना प्रश्नात्मक होने के कारण उपलब्ध नही करवाई गई है।

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 2(एफ) के अनुसार सूचना वही देय है जिस पर लोक सूचना अधिकारी की पहुंच हो अर्थात दूसरे शब्दो में सूचना वही देय है जो निश्चित अभिलेखो में उपलब्ध हो और प्रश्नात्मक रूप में नही होनी चाहिए। सूचना के रूप में प्रत्यर्थी न तो नई सूचंना बना सकते है और न ही वे स्वयं का मत दे सकते है। लोक सूचना अधिकारी से यह अपेक्षित है कि वह आवेदक को सामग्री उसी रूप में प्रदान करे जिस रूप में लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध है। सामग्री में से कुछ तथ्यों को खोजकर नागरिक को ऐसे खोजे गये तथ्यो को प्रदान करना लोक सूचना अधिकारी का काम नही है। इस अधिनियम के प्रावधानो के अन्तर्गत किसी लोक अधिकारी को किसी भी कार्य को किसी विशेष तरीके से करने या न करने के आदेश/निर्देश नही दिये जा सकते। **सूचना का अधिकार अधिनियम में प्रदत्त "सूचना" का अर्थ विभिन्न स्वरूपों में उपलब्ध सूचना तक सीमित है तथा जिस स्वरूप में सूचना उपलब्ध है उसी रूप में उसे प्रदान किया जा सकता है। सूचना के रूप में कोई सुझाव देना किसी परिवेदना के निवारण के लिए प्रार्थना करना अथवा किसी नियम या सामग्री के बारे में स्पष्टीकरण या उसकी व्याख्या प्राप्त करने की कोई गुंजाईश नही है। इस प्रकार जिला रसद अधिकारी, श्रीगंगानगर द्वारा अपीलार्थी को दिया गया उक्त उत्तर दिनांक 25.10.2017 सही है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नही होती है। इसलिए अपीलार्थी की अपील खारिज करने योग्य है।**

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपीलार्थी की अपील खारिज की जाती है। बहस के दौरान अपीलार्थी द्वारा शिकायत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो मूल ही आदेश की प्रति के साथ लोक सूचना अधिकारी, जिला रसद अधिकारी श्रीगंगानगर को जांच के लिए भिजवाया जाकर लेख है कि इस शिकायत प्रार्थना पत्र पर जांच नियमानुसार की जावे। आदेश की प्रति अपीलार्थी को भी भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो।

यह आदेश आज दिनांक 29.01.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ज्ञाना राम)
जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर